धारा 140 : इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने वाले से भिन्न है, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिए नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त हाने वाली अवधि के संबंध में विवरणी में [1][पात्र शुल्कों का] अग्रनीत विद्यमान सेनवेट प्रत्यय अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, [2][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में] हकदार होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात् :

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां उसने नियत दिन के तुरंत पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी हैं; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्मित और निकासी किए गए मालों से संबंधित है।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय की रकम अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की गई है, और जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन [3][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तब तक प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं था और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय'' पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि कराधेय व्यक्ति द्वारा विद्यमान विधि के अधीन पूंजी माल के संबंध में पहले से प्राप्त की गई सेनवेट प्रत्यय की रकम को उस सेनवेट प्रत्यय की रकम में से घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो छूट–प्राप्त मालों के विनिर्माण में लगा था या जो छूट–प्राप्त सेवाओं के उपबंधों या जो संकर्म संविदा सेवाओं को उपलब्ध करता रहा था और जो अधिसूचना संख्यांक 26/2012–सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 के फायदे प्राप्त कर रहा था या जो किसी

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 वित्त अधिनिय, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विहित की जाने वाली रीति में'' के स्थान पर अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

3 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विहित की जाने वाली रीति में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या किसी विनिर्माता के डिपो का कोई प्रथम प्रक्रम का व्यौहारी या कोई द्वितीय प्रक्रम का व्यौहारी था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए [4][नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टाक में धारित] इनपुटों और अर्ध–निर्मित माल या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र–शुल्कों का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :

(i) ऐसे इनपुटों या मालों या उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्तिकर्ता के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप अन्य विहित दस्तावेज रखता है;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे;

(v) सेवाओं का पूर्तिकार इस अधिनियम के अधीन किसी उपशमन का पत्र नहीं है :

परन्तु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के पूर्तिकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो शुल्क के संदाय के संबंध में शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं रखता है वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जिनके अंतर्गत यहशर्त भी है कि उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के लाभ के प्राप्तिकर्ता के लिए कीमत की कमी के द्वारा आगे अंतरित करेगा, ऐसा प्रत्यय ऐसी रीति में और ऐसी दर पर जो विहित की जाए, प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन छूट–प्राप्त मालों के साथ–साथ कराधेय मालों के विनिर्माण या वित्त अधिनियम, 1994 *(1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन छूट–प्राप्त सेवाओं के साथ–साथ कराधेय सेवाओं के उपबंधों में लगा है किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी हैं, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में निम्नलिखित की रकम को लेने का हकदार होगा,–

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट–प्राप्त मालों और सेवाओं के संबंध में नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध–निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र शुल्क के सेनवेट प्रत्यय।

---

4 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''नियत दिन पर स्टाक में धारितं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

* राजपत्र में (1944 का 32) छपा हुआ है।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क या कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का पात्र होगा, किन्तु जिसके संबंध में शुल्क या कर [5][विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा] संदत्त किया गया था, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में बीजक या कोई अन्य शुल्क या संदाय का दस्तावेज अभिलिखित था :

परन्तु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर आयुक्त द्वारा तीस दिन की अवधि के लिए विस्तार की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन लिए गए प्रत्यय के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या विद्यमान विधि के अधीन संदेय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को [6][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध–निर्मित या तैयार मालों के इनपुट को स्टाक में धारित स्टाक और इनपुट के संबंध में पात्र शुल्क के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :–

(i) ऐसे इनपुटों या माल का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय नहीं कर रहा है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन के तुरंत पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियत दिन से पूर्व प्राप्त किन्हीं सेवाओं के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय, [7][इस अधिनियम के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय के रूप में]

---

5 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

6 वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा ''नियत दिन पर स्टाक में धारित'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

7 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय के रूप में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

वितरित किए जाने के लिए पात्र होगा, [8][यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं]।

(8) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, जिसके पास विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, वहां ऐसे व्यक्ति को नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी जाने वाली किसी विवरणी में सेनवेट प्रत्यय की रकम को, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में प्रत्यय के रूप में [9][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में] अग्रनीत करने के लिए, जो विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से तीन मास की अवधि के भीतर नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी दे देता है, तो ऐसा प्रत्यय इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात होगा कि उक्त विवरणी या तो मूल विवरणी है या जहां प्रत्यय की रकम को पूर्व में दावा की गई रकम से कम किया गया है, वहां वह पुनरीक्षित विवरणी है :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं है :

परन्तु यह भी कि ऐसा प्रत्यय ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से किसी को अंतरित किया जा सकेगा जिनके पास वही स्थायी खाता संख्या है जिसके लिए विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।

(9) जहां उपलब्ध कराई गई इनपुट सेवाओं के लिए प्राप्त किए गए किसी सेनवेट प्रत्यय को, विद्यमान विधि के अधीन प्रतिफल का तीन मास की अवधि के भीतर संदाय न किए जाने के कारण उलट दिया गया था, वहां [10][ऐसे प्रत्यय का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन] रहते हुए पुनः दावा किया जा सकता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नियत दिन के तीन मास की अवधि के भीतर सेवाओं की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय कर दिया है।

(10) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में संगणित की जाएगी, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण 1.—[11][उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)] और उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध–निर्मित या तैयार मालों के स्टाक में

---

8 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''ऐसी रीति में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

10 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''ऐसे प्रत्यय का इस शर्त के अधीन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।

11 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (3), उपधारा (4)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में ''पात्र शुल्क'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iv) [12]**[**.....**]**

(v) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क; और

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क।

स्पष्टीकरण 2.–[13]**[**उपधारा (1) और उपधारा (5)**]** के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में ''पात्र शुल्क और कर'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क

(iv) [14]**[**.....**]**

(v) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क; और

(viii) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर।

---

12 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (iv) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
''(iv) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;''

13 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (5)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

14 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (iv) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
''(iv) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;''

[15][**स्पष्टीकरण 3.**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, ''पात्र शुल्क और कर'' पद में ऐसा कोई उपकर, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसा कोई उपकर भी सम्मिलित नहीं है, जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया है।**]**

उपयुक्त नियमः नियम 44क, 117, 120क एवं 121

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी टीआरएएन–1 एवं जीएसटी टीआरएएन–2

---

15 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।